रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2014/वैशाख 26, 1936
No. 265] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2014/VAISAKHA 26, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2014

सं. 21/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 342(अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यातित अध्याय 59 के अंतर्गत "नायलोन टायर कॉर्ड फैब्रिक (एनटीसीएफ)" आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/32/2013-डीजीएडी, तारीख 17 अप्रैल, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 17 अप्रैल, 2014 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41/2009-सीमा शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 291(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2009 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (5) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41/2009-सीमा शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3,

उप-खंड (i) में सा.का.नि. 291(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2009 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात् एवं स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्—

"पैराग्राफ 2 में निहित के बावजूद यह अधिसूचना 28 अप्रैल, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी यदि पहले विखंडित न किया जाये।"

[फा. सं. 354/63/2004-टीआरयू (भाग-III)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 41/2009- सीमा-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 291(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2009 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2014

No. 21/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 342(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No.15/32/2013-DGAD, dated 17th April, 2014, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 17th April, 2014, had initiated review, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on "Nylon Tyre Cord Fabric (NTCF)", falling under Chapter 59 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 41/2009-Customs, dated the 29th April, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 291(E), dated the 29th April, 2009 and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 41/2009-Customs, dated the 29th April, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 291(E), dated 29th April, 2009 namely:—

In the said notification, after paragraph 2 and before the *Explanation*, the following shall be inserted, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 28th day of April, 2015, unless revoked earlier".

[F. No. 354/63/2004-TRU (Pt.-III)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 41/2009-Customs, dated the 29th April, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 291(E), dated the 29th April, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली,16 मई, 2014

सं. 22/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 343(अ).—अभिहित प्राधिकारी, ताइवान, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र अमरीका (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पेरक्सोसल्फेट्स जिसे परसल्फेट्स" के नाम से भी जाना जाता (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 4 मार्च, 2014 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना फा. सं. 14/9/2012-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(क) तुर्की को छोड़कर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ताइवान से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण हुई है;

(ग) वास्तविक क्षति संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ताइवान से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है;

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ताइवान से मूलत: अथवा निर्यातित विषयागत माल तथा भारत में आयातित माल पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर अग्रोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है,और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और उक्त सरणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	उपशीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	28334000	पेरक्सोसल्फेटस या परसल्पफेट	अमोनियम परसल्फेट्स पोटेशियम परसल्फेटस या सोडियम पर सल्फेटस	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	कोई	कोई	62	मी. टन	अमरीकी डालर
2	28334000	पेरक्सोसल्फेटस या परसल्पफेट	-वही-	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	संयुक्त राष्ट्र अमरीका के	कोई	कोई	62	मी. टन	अमरीकी डालर

					अलावा अन्य कोई देश					
3	28334000	पेरक्सोसल्फेटस या परसल्पफेट	-वही-	संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ताइवान के अतिरिक्त अन्य कोई देश	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	कोई	कोई	62	मी. टन	अमरीकी डालर
4	28334000	पेरक्सोसल्फेटस या परसल्पफेट	-वही-	ताइवान	ताइवान	कोई	कोई	94	मी. टन	अमरीकी डालर
5	28334000	पेरक्सोसल्फेटस या परसल्पफेट	-वही-	ताइवान	ताइवान के अतिरिक्त अन्य कोई देश	कोई	कोई	94	मी. टन	अमरीकी डालर
6	28334000	पेरक्सोसल्फेटस या परसल्पफेट	-वही-	संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ताइवान के अतिरिक्त अन्य कोई देश	ताइवान	कोई	कोई	94	मी. टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम अधिसूचना द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू ''विनिमय दर'' वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/195/2013-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2014

No. 22/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 343(E).—Whereas, in the matter of ''Peroxosulphates' also known as 'Persulphates' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the Taiwan, Turkey and the United States of America (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1,*vide* notification number 14/9/2012-DGAD dated the 4th March, 2014, had come to the conclusion that –

(a) The subject goods have been exported to India from the subject countries except Turkey below its normal value;

(b) The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the United States of America and Taiwan;

(c) The material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the United States of America and Taiwan.

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the United States of America and Taiwan and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (9) in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description of goods	Specifications	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	United States of America	United States of America	Any	Any	62	MT	US Dollar
2	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	United States of America	Any country other than United States of America	Any	Any	62	MT	US Dollar
3	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Any country other than United States of America and Taiwan	United States of America	Any	Any	62	MT	US Dollar
4	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Taiwan	Taiwan	Any	Any	94	MT	US Dollar
5	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Taiwan	Any country other than Taiwan	Any	Any	94	MT	US Dollar

6	2833 40 00	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Any country other than United States of America and Taiwan	Taiwan	Any	Any	94	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/195/2013-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2014

सं. 23/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 344(अ).—जबकि "फेनोल" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो चीनी ताइपेई और संयुक्त राष्ट्र अमरीका (एतद्पश्चात विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में प्राधिकृत प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/17/2012-डीजीएडी, दिनांक 5 मार्च, 2014 के जरिए अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(क) संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का पाटन हुआ है;

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

जबकि पदनामित प्राधिकारी ने विषयगत देशों से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयागत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (।) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उधृत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्र. स.	उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	मापन की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29071110	फेनोल	चीनी तेइपेई	चीनी तेइपेई	फार्मोसा कैमिकल्स एंड फाइबर कॉर्पोरेशन	फार्मोसा कैमिकल्स एंड फाइबर कॉर्पोरेशन	79.63	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
2	29071110	फेनोल	चीनी तेइपेई	स्विटजरलैंड	फार्मोसा कैमिकल्स एंड फाइबर कॉर्पोरेशन	कोलमर ग्रुप एजी	79.63	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
3	29071110	फेनोल	चीनी तेइपेई	चीनी तेइपेई	ताइवान प्रोस्पेरिटी कैमिकल कॉर्पोरेशन	ताइवान प्रोस्पेरिटी कैमिकल कॉर्पोरेशन	46.07	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
4	29071110	फेनोल	चीनी तेइपेई	स्विटजरलैंड	ताइवान प्रोस्पेरिटी कैमिकल कॉर्पोरेशन	कोलमर ग्रुप एजी	46.07	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
5	29071110	फेनोल	चीनी तेइपेई	चीनी तेइपेई	क्र.सं. 1 व 4 से इतर अन्य कोई संयोजन		193.9	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
6	29071110	फेनोल	चीनी तेइपेई	चीनी तेइपेई के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	193.9	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
7	29071110	फेनोल	चीनी तेइपेई के अतिरिक्त कोई अन्य देश	चीनी तेइपेई	कोई	कोई	193.9	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
8	29071110	फेनोल	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	कोई	कोई	146.09	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
9	29071110	फेनोल	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	146.09	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन
10	29071110	फेनोल	संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अतिरिक्त कोई अन्य देश	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	कोई	कोई	146.09	अमरीकी डालर	मीट्रिक टन

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है ।

[फा. सं. 354/64/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2014

No. 23/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 344(E). –Whereas, in the matter of Phenol (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Chinese Taipei and the United States of America (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its preliminary findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1,*vide* notification No. 14/17/2012-DGAD dated the 5th March, 2014, had come to the provisional conclusion that –

(a) the subject goods have been exported to India from the subject countries below their normal value thus resulting in the dumping of the product;

(b) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject countries;

(c) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject countries;

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid preliminary findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), and exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Currency	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2907 11 10	Phenol	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Formosa Chemicals & Fibre Corporation	Formosa Chemicals & Fibre Corporation	79.63	US Dollar	MT
2	2907 11 10	Phenol	Chinese Taipei	Switzerland	Formosa Chemicals & Fibre Corporation	Kolmar Group AG	79.63	US Dollar	MT

3	2907 11 10	Phenol	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Taiwan Prosperity Chemical Corporation	Taiwan Prosperity Chemical Corporation	46.07	US Dollar	MT
4	2907 11 10	Phenol	Chinese Taipei	Switzerland	Taiwan Prosperity Chemical Corporation	Kolmar Group AG	46.07	US Dollar	MT
5	2907 11 10	Phenol	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any combination other than S.No 1 and 4		193.9	US Dollar	MT
6	2907 11 10	Phenol	Chinese Taipei	Any country other than Chinese Taipei and the countries attracting anti-dumping duties	Any	Any	193.9	US Dollar	MT
7	2907 11 10	Phenol	Any country other than Chinese Taipei and the countries attracting anti-dumping duties	Chinese Taipei	Any	Any	193.9	US Dollar	MT
8	2907 11 10	Phenol	United States of America	United States of America	Any	Any	146.09	US Dollar	MT
9	2907 11 10	Phenol	United States of America	Any country other than United States of America and the countries attracting anti-dumping duties	Any	Any	146.09	US Dollar	MT
10	2907 11 10	Phenol	Any country other than United States of America and the countries attracting anti-dumping duties	United States of America	Any	Any	146.09	US Dollar	MT

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period not exceeding six months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Gazette of India and shall be paid in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/64/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.